



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17032021-225950
CG-MH-E-17032021-225950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 101]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में,-
 - I. विनियम 7 के उप-विनियम (1) का खंड (क), निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
“(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संघ (असोसिएशन) से वित्त (फाइनेंस), अकाउंटेंसी, कारबार प्रबंधन (बिजनेस मैनेजमेंट), वाणिज्य (कॉमर्स), अर्थशास्त्र, पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट),

बैंकिंग, बीमा या एक्चुरियल साइंस में व्यावसायिक योग्यता (अर्हता) या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम दो वर्षों की अवधि का) अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से प्रतिभूति बाजार (निवेश सलाह) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री)] में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा करके हासिल की गई व्यावसायिक योग्यता अथवा सीएफए इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया जाने वाला सीएफए चार्टर प्राप्त करके हासिल की गई व्यावसायिक योग्यता;"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./537/2020-21]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778 द्वारा, 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-
 - (1) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (2) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (4) 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा
 - (5) 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely, —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013,-

- I. clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7 shall be substituted with the following clause, namely, -

“(a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum two years in duration) in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or a professional qualification by completing a Post Graduate Program in the Securities Market (Investment Advisory) from NISM of a duration not less than one year or a professional qualification by obtaining a CFA Charter from the CFA Institute;”

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./537/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, –
 - (1) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (2) 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (4) 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22.
 - (5) 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04.